न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/एल.आर./2004/ 2484/अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– मुस्सदी)
2– जगदीश) पुत्रान टिम्मल जाति कुम्हार निवासीयान
3– रोहीताश्व) कोटकासिम तह. कोटकासिम जिला अलवर।
4– श्रीमती सरबती स्त्री टिम्पल, जाति कुम्हार निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अयूब खान, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 30–9–2019

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 24–2–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण ने एक दावा बाबत इस्तकरारहक न्यायालय सहायक कलेक्टर, कोटकासिम में विरूद्ध राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर–599/13 रकबा 4 बीघा अप्रार्थीगण के पूर्वज नत्थु पुत्र सुल्लड़ के नाम सम्वत 2012 से गैर मौरूसी दर्ज थी। बाद में नत्थु के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो गयी। भू

प्रबंधन के दौरान उक्त आराजी खसरा नम्बर–526 रकबा 12 विस्वा बना और शेष आराजी खसरा नम्बर–556 में शामिल कर दी। वादीगण आज भी उक्त 3 बीघा 8 विश्वा भूमि पर काबिज काश्त है। अतः खसरा नम्बर–556 की 3 बीघा 8 विस्वा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। राजस्थान सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों से इनकार किया। परीक्षण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल 4 तनकियात कायम की। साक्ष्य लेने के पश्चात परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 के द्वारा वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने एक अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–2–2004 द्वारा अपील स्वीकार कर अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर–526 रकबा–0.12 हैक्टेयर व 556 रकबा 3 बीघा 8 विश्वा कुल 4 बीघा पर वादीगण/अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 24–2–2004 से व्यथित होकर राजस्थान सरकार ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा से हाल कौन–कौन से खसरा नम्बर बने, वादी/अप्रार्थीगण को यह सिद्ध करना होगा। हाल खसरा नम्बर–556 कई साबिक खसरा नम्बर से मिलकर बना है जिसमें खसरा नम्बर–599 भी शामिल है जो कि गैर मुमकिन नदी है। प्रतिकूल कबजा के आधार पर कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती है व गैर मुमकिन नदी दर्ज होने के कारण **''अब्दुल रहमान''** केस होने से भी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने

तनकिवार निर्णय भी पारित नहीं किया है। अतः विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय विधि के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है, इसलिये निरस्तनीय है। अपील प्रस्तुत करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है इसलिए धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी शमित की जाये।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 24–2–2004 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 23–6–2004 को प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार लगभग एक माह के पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें एक–एक दिन की देरी का कारण बताना होता है। सरकार द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे प्रतीत होता हो कि देरी सद्भाविक है। केवल इसी आधार पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि सम्वत् 2012 से वादीगण का कब्जा 4 बीघा पर है। उनके पूर्वज गैर खातेदार अंकित थे और बाद में हाल खसरा नम्बर–526 रकबा 12 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी है, शेष 3 बीघा 8 बिस्वा को खसरा नम्बर–556 में भू प्रबंध विभाग ने मिला दिया। उक्त भूमि पर अभी भी कब्जा अप्रार्थीगण का है। अतः खसरा नम्बर–556 के 3 बीघा 8 विस्वा पर अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित कर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय प्रदान किया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, कोटकासिम ने दावा खारिज करने में त्रुटि की थी लेकिन विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपील स्वीकार कर विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय प्रदान किया है। राजस्थान सरकार ने अपील में कोई ठोस बिन्दु प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिये द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाये। उन्होंने आरआरडी 1987 पेज–202 नजीर भी प्रस्तुत की।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत नजीर का आदर पूर्वक परिशीलन किया।

7– पत्रावली में अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र संलग्न है पहले उस पर निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–2–2002 का है जबकि अपील लगभग एक माह बाद प्रस्तुत की गई है। उक्त देरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और राजकीय प्रक्रिया के कारण हुई है जिसे शमित किया जाना हम न्यायहित में आवश्यक समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर देरी को शमित किया जाता है।

8– पत्रावली में उपलब्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, कोटकासिम दिनांक 22–1–2004 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए दावा खारिज किया है लेकिन विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपील स्वीकार करते हुए तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। उन्होंने न्यायालय सहायक कलेक्टर, कोटकासिम का निर्णय अपास्त कर अप्रार्थीगण को खसरा नंबर–556 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोशित किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर को तनकीवार निर्णय प्रदान करना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं किया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

9– तनकी संख्या–1 :– आया आराजी साबिक खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा वादीगण की पैतृक गैर खातेदारी काबिज काश्त आराजी है। **.....वादीगण**

ई.एक्स.–1 जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार साबिक आराजी खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा पर नत्थू पुत्र सुल्लड़ कुम्हार साकिन देह खातेदार अंकित है। ई.एक्स.–2 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2029 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर–526 रकबा 12 बिस्वा पर नत्थू पुत्र सुल्लड़ कुम्हार साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है। ई.एक्स.–4 जमाबन्दी संवत 2012 में खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा पर नत्थू पुत्र सुल्लड़ जाति कुम्हार साकिन देह गैर मौरूसी साल 2 मिन जानिब शम्भूदयाल हिस्सेदार और भूमि की किस्म बारानी दोयम व गैर मुमकिन नदी दर्ज है। ई.एक्स.–5 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर–556 रकबा 173 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर–117 मिन, 128 मिन, 599 मिन रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा, 624 मिन, 625 मिन, 808 मिन, 814 मिन, 610 मिन व 118/1777 मिन से मिलकर बना है। यहां गौर करने योग्य बात यह है कि साबिक खसरा नम्बर–599 मिन रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा है, न कि खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा। इस प्रकार इस मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा से हाल खसरा नम्बर–556 रकबा 173 बीघा 18 बिस्वा नहीं बना है। ई.एक्स.–7 खसरा गिरदावरी संवत 2013 में भी ई.एक्स.–4 जैसे ही अंकन है। ई.एक्स.–10 नकल जमाबन्दी संवत 2051–54 के अनुसार खसरा नम्बर–556/1 मिन रकबा 122 बीघा 15 बिस्वा पर सिवायचक बिला लगानी, (4) नदियां और नाले अंकित है जिसमें भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर–599/13 रकबा 4 बीघा पर संवत 2012 से वादीगण के पूर्वज

नत्थू पुत्र सुल्लड़ पहले गैर मौरूसी दर्ज थे जिसमें हिस्सेदार के तौर पर शम्भूदयाल का नाम अंकित था। बाद में नत्थू पुत्र सुल्लड़ को गैर खातेदार अंकित कर दिया और शम्भूदयाल का नाम हटा दिया। इस प्रकार तनकी संख्या–1 वादीगण के पक्ष में साबित होने से वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

9– तनकी संख्या–2 :– आया आराजी साबिक का 3 बीघा 8 बिस्वा रकबा हाल खसरा नम्बर–556 रकबा 173 बीघा 18 बिस्वा में शामिल कर सिवायचक दर्ज कर दिया जिसे वादीगण दुरूस्त कराने का अधिकारी है। **.....वादीगण**

ई.एक्स.–5 मिलान क्षेत्रफल का विश्लेषण तनकी संख्या–1 में किया जा चुका है और इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि हाल खसरा नम्बर–556 में साबिक खसरा नम्बर–599/13 का 3 बीघा 8 बिस्वा इसमें मिला दिया हो। वादीगण ने साबिक व हाल का कोई नक्शा ट्रैस भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण को स्वयं सिद्ध करना होगा कि साबिक खसरा नम्बर–599/13 से हाल कौन कौन से खसरा नम्बर बने हैं। ई.एक्स.–3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर–599 मिन से हाल खसरा नम्बर–557, 558, 559, 560, 562, 565, 567, 568, 569, 575 आदि भी बने हैं। उक्त खसरा नम्बरों की कोई भी जमाबन्दी वादीगण ने प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में यह स्पष्ट तौर पर कैसे कहा जा सकता है कि हाल खसरा नम्बर–556 में ही साबिक खसरा नम्बर–599/13 का रकबा मिला दिया है? अन्य खसरा नम्बर का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादीगण की मंशा पर शक होता है और यह प्रतीत होता है कि वादीगण **''क्लीन**

हैण्ड'' से नहीं आये हैं। इस प्रकार वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या–2 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

10– तनकी संख्या–3 :– आया वादीगण उक्त खातेदारी के खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। **.....वादीगण**

तनकी संख्या–2 में यह सिद्ध हो चुका है कि हाल खसरा नम्बर–556 रकबा 173 बीघा 15 बिस्वा में साबिक खसरा नम्बर–599/13 का 3 बीघा 8 बिस्वा नहीं मिलाया है और वादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि खसरा नम्बर–599/13 से हाल खसरा नम्बर कौनसे बने हैं। अतः बिना सिद्ध किये कि खसरा नम्बर–599/13 का 3 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर–556 में मिला दिया है वादीगण कैसे खातेदार काश्तकार हो सकते हैं? हाल खसरा नम्बर–556 रकबा 173 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन नदी होने के कारण भी **''अब्दुल रहमान''** केस से प्रभावित है जिसके अनुसार नदी, नाले की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत यह प्रतिबंधित भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। वादीगण का यह कथन कि 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आज भी उनका कब्जा है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में उन्होंने कब्जा बाबत कोई दस्तावेज जैसे नोटिस अन्तर्गत धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत नहीं किया। तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाये कि उनके पास कब्जा है तो क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं? इस संबंध में राजस्व मण्डल की लार्जर बैंच का निर्णय आर.बी.जे. 2011 पेज–387 अवलोकनीय है। इसमें स्पष्ट अभिमत प्रकट किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः इन सब तथ्यों को देखते हुये वादीगण / अप्रार्थीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण सही निर्णीत की थी और दावा खारिज कर विधिसम्मत निर्णय प्रदान किया है लेकिन विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपील स्वीकार कर अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर–556 के 3 बीघा 8 बिस्वा पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर विधिक त्रुटि की है। अतः उनका आक्षेपित निर्णय दिनांक 24–2–2004 विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त तनकी को भी वादीगण / अप्रार्थीगण साबित करने में विफल रहे और तनकी संख्या–3 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

11– अतः उपर्युक्त तनकीवार निर्णय को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार की अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–2–2004 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य